कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़ (राज.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक :– स्था./2015/235 दिनांक : 24.11.15

विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.2(3)न्याय/2012 दिनांक 17.11.2015 के द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना दिनांक 01.06.2012 द्वारा सृजित विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण) न्यायालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर महानगर, जोधपुर महानगर, कोटा एवं उदयपुर का क्षेत्राधिकार क्रमशः अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर महानगर, जोधपुर महानगर, कोटा एवं उदयपुर संभाग के स्थान पर क्रमशः अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर महानगर, जोधपुर महानगर, कोटा एवं उदयपुर जिला निर्धारित किया गया है।

अतः विधि विभाग की उक्त अधिसूचना के क्रम में हनुमानगढ न्यायक्षेत्र में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरणों के लिए क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

1. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट टिब्बी, पीलीबंगा, हनुमानगढ, एवं न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के न्यायिक क्षेत्राधिकार में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के अंतर्गत भविष्य में दर्ज होने वाले समस्त प्रकरण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ में विधि अनुसार सुनवाई हेतु संस्थित होगें।
2. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा एवं न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा के न्यायिक क्षेत्राधिकार में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के अंतर्गत भविष्य में दर्ज होने वाले समस्त प्रकरण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा में विधि अनुसार सुनवाई हेतु संस्थित होगें।
3. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोहर एवं न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नोहर, रावतसर के न्यायिक क्षेत्राधिकार में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के अंतर्गत भविष्य में दर्ज होने वाले समस्त प्रकरण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोहर में विधि अनुसार सुनवाई हेतु संस्थित होगें।
4. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया के न्यायिक क्षेत्राधिकार में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के अंतर्गत भविष्य में दर्ज होने वाले समस्त प्रकरण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया में विधि अनुसार सुनवाई हेतु संस्थित होगें।

भवदीय

संलग्न– उपरोक्तानुसार

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़

लगातार..............2

क्रमांक :– स्था. / 2015 / 10538-569 दिनांक : 24.11.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, हनुमानगढ़
2. विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.प्रकरण) हनुमानगढ़
3. विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) हनुमानगढ़
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.1 हनुमानगढ़ / सं.2 हनुमानगढ़ / संगरिया / सं.1 नोहर / सं.2 नोहर / भादरा
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ / संगरिया / नोहर / भादरा
7. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ / टिब्बी / पीलीबंगा / रावतसर / नोहर / भादरा
8. अति.सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ
9. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़
10. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ
11. जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ (जिले के समस्त पुलिस थानों को उक्तानुसार सूचित करावें)
12. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जिले के सम्बन्धित समस्त चिकित्सकों / निरीक्षकों को इस सम्बन्ध में सूचित करें।
13. अध्यक्ष बार संघ, हनुमानगढ / टिब्बी / पीलीबंगा / रावतसर / नोहर / भादरा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़

1074

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(3)न्याय/2012 जयपुर, दिनांक 17 NOV 2015

–:अधिसूचना :–

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.06.2012 द्वारा सृजित विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण) न्यायालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर महानगर, जोधपुर महानगर, कोटा एवं उदयपुर का क्षेत्राधिकार क्रमशः अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर महानगर, जोधपुर महानगर, कोटा एवं उदयपुर संभाग के स्थान पर क्रमशः अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर जिला निर्धारित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से

17.11.15

(दीपक माहेश्वरी)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त न्यायालयों एवं P.S. को प्रेषित हो
23/11/15

क्रमांक/सामान्य/ii/11/2012/1539 दिनांक 19/11/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1.समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ,जयपुर।
2.रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) रा.उ.न्या. जोधपुर को इस निवेदन के साथ कि उक्त अधिसूचना की प्रति उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावें।
3.समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना की प्रति सभी अधीनस्थ न्यायालयों को भी भिजवाई जावें, एवं संभाग मुख्यालय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तदनुसार क्षेत्राधिकार निर्धारित करें।
4.संबंधित न्यायालय।
5.प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय शाखा/ स्था.रा.न्या.से./ अधी.न्यायालय स्था./ सांख्यिकी/ बजट/ भवन/ अंक मिलान लिपिक/ कम्प्युटर सेल (समस्त जिला न्यायालय को ई-मेल करने हेतु), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

19.11.15
रजिस्टार(नियम)